रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2000/आषाढ़ 21, 1922

No. 150] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2000/ASADHA 21, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2000

सं. 7(4)/2000-आई आर एस.— सरकार द्वारा नयी औद्योगिक नीति, 1991 के भाग के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की संकल्पना की घोषणा की गयी थी । सरकार ने 3 फरवरी, 1992 को भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा राष्ट्रीय नवीकरण निधि की औपचारिक रूप से स्थापना की थी ।

1992-93 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना तथा संगठित क्षेत्र के युक्तियुक्त श्रमिकों हेतु परामर्श/पुनः प्रशिक्षण/पुनः तैनाती योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता उपलब्ध करायी गयी है । अब सरकार ने सरकारी उद्यम विभाग के ता. 5 मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(32)/97-डी पी ई (डब्ल्यू सी) द्वारा संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना आरम्भ की है और यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि को अपने वर्तमान रूप में समाप्त समझा जाए । स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के कार्यान्वयन हेतु बजट सहायता वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध करायी जाएगी तथा स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण/पुनः स्थापन के लिए अपेक्षित निधियां सरकारी उद्यम विभाग को सौंप दी जायेंगी ।

इस निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित संकल्प के द्वारा स्थापित की गयी राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन आर एफ) को एतद्द्वारा समाप्त करती है ।

ए. ई. अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2000

No. 7(4)/2000-IRS.— The concept of the National Renewal Fund was announced by the Government as a part of the New Industrial Policy, 1991. The Government formally established the National Renewal Fund by a Government of India resolution on 3rd February, 1992.

During the period 1992-93 to 1998-99, the assistance from the NRF has been provided for implementation of voluntary retirement scheme in Central Public Sector Undertakings and counselling/retraining/redeployment scheme for workers rationalised from the organised sector. The Government has now introduced revised voluntary retirement scheme (VRS) vide Department of Public Enterprises Office Memorandum No.2(32)/97-DPE(WC) dated 5th May, 2000 and it has been decided that the NRF in its present form may cease to exist. The budgetary support for implementation of VRS would be made available at the beginning of the financial year and funds required for retraining/rehabilitation of employees availing VRS would be placed with Department of Public Enterprises.

In pursuance of this decision, the Government of India hereby abolishes National Renewal Fund (NRF) set up vide Resolution published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part-I, Section-1 dated 03-02-1992.

A. E. AHMED, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054